न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2021 (रसद)
पंजीयन दिनांक 05.04.2021
G.C.M.S. NO. :-2021/167

राज्य सरकार जरिए श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामेश्वर लाल पिता मोहन लाल धाकड़ निवासी ढ़ोरिया, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री शंकर लाल पिता अमरा बंजारा निवासी रणछोड़पुरा, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
3–श्री महमूद पिता रमजान निवासी रलोला थाना पानीसीना जिला सुरेन्द्रनगर (गुजरात) टैंकर चालक

–विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए व सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश, 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत

उपस्थितिः– 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2–श्री शुभम सुखवाल, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 13.07.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2021 को पुलिस उप अधीक्षक, वृत्त चित्तौड़गढ़ को जरिये फोन उच्चाधिकारियों से ढ़ोरिया चौराहा सरहद वजीरपुरा, थाना सदर निम्बाहेड़ा में गुजरात की ओर से टैंकर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ मंगवाकर क्रय–विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचकर पाया कि एक टैंकर नम्बर GJ 36 V 0001 में से पाईप एवं मोटर लगी हुई हो पास में ही एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप जिसमें तेल का टैंकर बना हो, नोजल, पाईप लगी होकर उसमें खाली कर रहे थे तथा पास में एक मेसी ट्रेक्टर बिना नम्बरी मय टैंकर खड़ा हो टैंकर में तेल निकालने का नोजल, पाईप एवं इलेक्ट्रीक बॉक्स बना हुआ है, मौके पर मेजर नाप 5 लीटर, कीमा 10 लीटर, प्लास्टिक नली मय रिफिल मोटर, खाली प्लास्टिक केन 50 लीटर तथा पास में ही डिस्पेन्सिक यूनिट लगा हुआ है, जिसको कुछ समय पूर्व ही जिला रसद कार्यालय

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ द्वारा सील किया था। मौके पर खडे टैंकर नम्बर GJ 36 V 0001 को चेक किया तो टैंकर पांच खण्डों में विभाजित होकर प्रत्येक खण्ड पर बाहर की साईड में लीटर का माप लिखा हुआ एवं टैंकर पर एडीबल ऑयल लिखा हुआ है। इसके प्रथम खण्ड का ढक्कन खोलकर टैंकर में पडे माप से नाप किया तो 6000 लीटर, दूसरे खण्ड में भी 6000 लीटर, तीसरा खण्ड खाली, चौथे खण्ड में 4000 लीटर तथा पांचवे खण्ड का नाप करने पर करीब 3000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हो टैंकर में कुल 19000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व पास में खडी पिकअप बोलेरो में लगे टैंकर में भरे पेट्रोलियम पदार्थ का नाप किया तो 1500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया, पास में खडे मेसी ट्रेक्टर में लगे टैंकर को चेक किया तो पूरा खाली होना पाया गया। मौके पर श्री रामेश्वरलाल उर्फ रमेश पिता मोहन लाल धाकड़ निवासी ढ़ोरिया, श्री शंकरलाल पिता अमरा बंजारा निवासी रणछोड़पुरा उर्फ वजीरपुरा एवं टैंकर चालक श्री महमूद पिता रमजान भाई मुसलमान निवासी रलोला जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात उपस्थित मिले। श्री रामेश्वरलाल उर्फ रमेश पिता मोहन लाल धाकड़ निवासी ढ़ोरिया से पूछने पर बताया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ मैं गुजरात से मंगवाकर ढ़ोरिया चौराहे पर सीज किये हुए बायोडीजल के पेट्रोल पम्प के पास एक भूमिगत टैंक में खाली कराकर तथा सीधे ही पिकअप के टैंकर में डिस्पेन्सिंग यूनिट जैसा तैयार कर उस पर लगे हुए नोजल के माध्यम से गांव-गांव में 60 से 65 रूपये प्रतिलीटर की दर से विक्रय करता हूँ। श्री शंकरलाल ने बताया कि मैं बिना नम्बरी बोलेरो पिकअप में लगे टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर गांव-गांव मे रामेश्वरलाल उर्फ रमेश धाकड़ के कहेनुसार विक्रय करता हूँ। टैंकर चालक श्री महमूद से पूछने पर बताया कि मैं टैंकर नम्बर GJ 36 V 0001 का चालक हूँ। मैं उक्त टैंकर में राजकोट से पेट्रोलियम पदार्थ भरकर मुताबिक बिल्टी के सांवरिया डीजल वजीरपुरा, निम्बाहेड़ा में खाली करने के लिये लेकर आया हूँ। मौके पर श्री रामेश्वरलाल उर्फ रमेश धाकड़, श्री शंकरलाल बंजारा एवं श्री महमूद द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय के वैध दस्तावेज के बारे में पूछने पर तीनों ने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। इस प्रकार तीनों व्यक्तियों के पास किसी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय के वैध दस्तावेज नहीं पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3(2)(डी)/7(1)ए(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं 3, 4 एमएसएचएसडी ऑर्डर, 2005 व धारा 3 ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल एण्ड ग्रीस (प्रोसेसिंग सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन) ऑर्डर 1987 पाया जाने से टैंकर नम्बर GJ 36 V 0001 को मय पेट्रोलियम पदार्थ 19000 लीटर, बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप मय पेट्रोलियम पदार्थ 1500 लीटर, ट्रेक्टर मय टैंकर, मेजर 5 लीटर, किमा 10 लीटर, रिफिल मोटर व प्लास्टिक केन 50 लीटर, को मौके पर जब्त किये जाकर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शुभम सुखवाल ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब पेश होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान को झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है। गैरसायलान ढ़ोरिया चौराहे पर स्थित होटल पर बैठकर चाय पी रहे थे तभी पुलिस ने नाम पता पूछकर उक्त प्रकरण में लिप्त किया है। उक्त वाहन व माल गैरसायलान का नहीं है। अतः गैरसायलान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही को ड्रॉप फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या GJ 36 V 0001, बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या RJ09 GC 8300 एवं वाहन ट्रेक्टर मय ट्रॉली रजिस्ट्रेशन संख्या RJ09 RD 2829, का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर क्रमशः वाहन स्वामी श्री जयराज सिंह चूडासमा निवासी मोरवी गुजरात, श्री उदयलाल धाकड़ निवासी मण्डावली एवं श्री मोहन लाल धाकड़ निवासी ढ़ोरिया का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या क्रमशः 72/2021 (रे.वि.) प्र. सं. 90/2021 (रे.वि.) एवं प्र. सं. 71/2021 (रे.वि.) में दिनांक 13.07.2021 को पारित निर्णयानुसार उनके वैध स्वामियों को राशि क्रमशः 35.00 लाख रूपये, 6.00 लाख रूपये एवं 5.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

सरहद वजीरपुरा थाना सदर निम्बाहेड़ा में मौके पर विपक्षीगण, खड़े हुए टैंकर संख्या GJ 36 V 0001 के मोटर एवं पाईप लगी होकर पास खडी बोलेरो संख्या RJ 09 GC 8300 में बने टैंकर में अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ खाली करते हुए पाए गए साथ ही पास में ट्रेक्टर संख्या RJ09 RD 2829 खडा पाया गया जिसमें भी टैंकर बना होकर तेल निकालने के लिए नोजल, पाईप एवं इलेक्ट्रीक बॉक्स लगा पाया गया। मौके पर ही मेजर नाप 5 लीटर, किमा 10 लीटर, रिफिल मोटर व प्लास्टिक की केन 50 लीटर भी पाये गये।

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल/पेट्रोलियम पदार्थ चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 20500 (19000 + 1500) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 28.01.2021 को जब्तशुदा कुल 20500 (19000 + 1500) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मेजर 5 लीटर, किमा 10 लीटर, प्लास्टिक केन 50 लीटर एवं रिफिल मोटर आदि सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 20500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, निम्बाहेड़ा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़